ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनीता देवी	01-04-2021 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री देश राज	01-04-2021 से 21-06-2021 तक
2	श्रीमती निशु	21-06-2021 से अदतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भांबला के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	01.74
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	78.71
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.39
4	6(ग)	विवाह पंजीकरण शुल्क को संबन्धित विभाग में न जमा करवाने बारे	0.10
5	9(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.72
6	9(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.05
7	10(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.52
8	10(घ)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	03.37

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक

द्वारा दिनांक 02-03-2024 से 13-03-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	03/22	07/21
2022-23	02/23	03/23

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-137 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत भांबला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:-** ग्राम पंचायत भांबला के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्त्रौत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	2666189.89	663901	3330090.89	341693	2988397.89
2022-23	2988397.89	921888	3910285.89	828494	3081791.89

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **3081791.89**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023 (₹)
H.P State cooperative bank,bhambla	32710100004	Own source & other grants	2389981.89
H.P State cooperative bank,bhambla	32710101353	SDP	585812.50
H.P State cooperative bank,bhambla	32710103117	IWMP	0
			2975794.39

Bank Reconcilation as on 31-03-2023	
Balance as per cash book	**₹3081791.89**
Balance as per Pass book	**₹2975794.39**
Net Difference	**₹105997.5**

(ii) **14 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत भांबला के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	3786907	63709	3850616	180570	3670046
2022-23	3670046	173816	3843862	3112061	731801

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconicilation as on 31 03-23	
Balance as per cash book	₹731801
Balance as per Pass book a/c 32710104335	**₹799346**
Net Difference	**₹67545**

(iii)15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत भांबला के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष** (₹)	**प्राप्ति** (₹)	**योग** (₹)	**व्यय** (₹)	**अन्तिम शेष** (₹)
2021-22	1019462	1849672	2869134	0	2869134
2022-23	2869134	2963149	5832283	1775058.95	4057224.05

Bank Reconicilation as on 31-03-23	
Balance as per cash book	₹4057224.05
Balance as per Pass book A/C no. 32710104335	₹4057224.05
Net Difference	**Nill**

(v) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**ब्याज (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2021-22	0	2883197.9	0	2883197.9	2883197.9	0
2022-23	0	1547077.77	0	1547077.77	1547077.77	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹1.74 लाख का अन्तर पाया गया :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से

मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्ट्यिों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹173542.5** की राशि का अन्तर पाया गया । अतः मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत भांबला के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹78.71 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत भांबला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹7870816.94 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत भांबला द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.39 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत भांबला के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹38675** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400

अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत भांबला द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹3200** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	80	nill	पुष्पा देवी सुपुत्री श्री रणजीत सिंह	17.04.21	26.04.21	200	शून्य	200
2	80	nill	अरुण कुमार सुपुत्र श्री बलबीर सिंह	30.04.21	09.05.21	200	शून्य	200
3	81	nill	देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री तुलसी दास	04.05.21	दर्शाया नही गया	200	शून्य	200
4	81	nill	सूरज कुमार सुपुत्र श्री सुंदर सिंह	07.05.21	01.06.21	200	शून्य	200
5	82	nill	राहुल शर्मा सुपुत्र श्री कमाल राज	24.05.21	01.06.21	200	शून्य	200
6	82	nill	महेंद्र सुपुत्र श्री ईश्वर दास	22.05.21	01.06.21	200	शून्य	200
7	83	nill	पंकज कुमार सुपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार	24.05.21	01.06.21	200	शून्य	200
8	83	nill	अबू सकलनी सुपुत्र श्री पदम सिंह	02.05.21	01.06.21	200	शून्य	200
9	84	nill	नवीन कुमार सुपुत्र श्री कुलदीप ठाकुर	08.05.21	05.06.21	200	शून्य	200

10	84	nill	लकी ठाकुर सुपुत्र श्री करम सिंह	23.05.21	07.06.21	200	शून्य	200
11	85	nill	राजेन्द्र सुपुत्र श्री स्वर्गीय राम कृशन	07.05.21	08.06.21	200	शून्य	200
12	85	nill	आशीष कुमार सुपुत्र श्री देव राज	30.04.21	09.06.21	400	शून्य	400
13	86	nill	कमल किशोर सुपुत्र श्री रूप लाल	07.05.21	10.06.21	200	शून्य	200
14	86	nill	देवेश गुप्ता सुपुत्र श्री महेश गुप्ता	06.06.21	10.06.21	200	शून्य	200
15	87	nill	विजय कुमार सुपुत्र श्री गुरुदेव	31.05.21	10.06.21	200	शून्य	200
								3200

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-120 दिनांक 07-03-2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा । अत: परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि ₹0.10 लाख को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम

,2016) के बिंदु 3 के अनुसार पंजीकरण शुल्क, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹9225/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
`	2021-22	5700
2.	2022-23	3525
	कुल जोड़	**₹9225**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-121 दिनांक 07.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि

विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतगर्त प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना :-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है । इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना । प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है ।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे । जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा । कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा । ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन स्तरों पर अर्थात् घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था ।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था| ग्राम पंचायत के पास जिले मंडी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूचि भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी ।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मंडी द्वारा वर्ष 2023 में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए राशि अनुमोदित कि गयी थी । अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशानिर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-130 दिनांक 11.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतगर्त प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

8. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न अप्लिकेशन है

जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं/सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल लैपटाप कम्प्यूटर अलमीरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर पंखे बर्तन इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 14 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लीकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-129 दिनांक 11.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम

पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

9. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.72 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹71517.50 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-131 दिनांक 12.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया

जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.05 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत भांबला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹4847.61 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में सलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-132 दिनांक 12.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

10. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹02.52 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्राविधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹251596.5 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही

किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**बिल संख्या/दिनांक**	**शीर्ष**	**आपूर्तिकर्ता**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**
1	1232/21.03.23	14वां वित्त आयोग	शमा ब्रदर गाँव बतेल डाकघर भांबला तहसील सरकाघाट	सरिया	30297
2	1208/15.03.23	14वां वित्त आयोग	शमा ब्रदर गाँव बतेल डाकघर भांबला तहसील सरकाघाट	सरिया	19275
3	1222/17.03.23	14वां वित्त आयोग	शमा ब्रदर गाँव बतेल डाकघर भांबला तहसील सरकाघाट	एमएस चैनल	12200
4	1212/15.03.2023	14वां वित्त आयोग	शमा ब्रदर गाँव बतेल डाकघर भांबला तहसील सरकाघाट	सरिया	43638
5	154/30.03.23	14वां वित्त आयोग	एम/एस आजाद एल्युमिनियम फेब्रिकेसन गाँव भांबला तहसील सरकाघाट	स्टील व अलुमिनियम जाली	47583.5
6	ghs/489/22-23/23.03.2023	14वां वित्त आयोग	गौरी संकर हार्डवेर स्टोर भांबला लोअर भांबला	पेंट	49150
7	एफ़एफ़सी/2022-23/पी/39,3200/18.03.2023	14वां वित्त आयोग	एम/एस जगदीश चंद & स्न्स गाँव व डाकघर भांबला तहसील बलद्वारा	पाइप व एम एस बार	49453
					251596.5

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-133 दिनांक 12.03.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा उत्तर संतोषजनक नही था । अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत भांबला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस

उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मैंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2021-22	218	55	163	905	396	396	14424	6	164175
2022-23	324	24	300	970	276	276	7474	2	148670

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-135 दिनांक 12.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) वितीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण में कार्यों निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹02.50 लाख अधिक व सामान पर राशि ₹02.50 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹17.71 लाख की जगह ₹15.21 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 2.50 लाख कम व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 26.57 लाख की जगह ₹ 29.07 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 2.50 लाख अधिक व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
2021-22	28.83	22.08	17.29	6.74	11.53
2022-23	15.47	6.99	9.28	8.47	6.18
कुल आय	**44.30**	**29.07**	**26.57**	**15.21**	**17.71**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-134 दिनांक 12.03.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस नियम का ध्यान रखा जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹02.50 लाख कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹02.50 लाख अधिक व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) क्रय की गई सामग्री ₹ 03.37 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹337462 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मात्रा CUF	भुगतान राशि
	मनरेगा				
1	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	रेत	6.00	8340
2	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	बजरी	4.00	5560
3	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	बोल्डर	16.00	12000

4	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	रेत	6.00	8340
5	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	बजरी	12.00	16680
6	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	बोल्डर	21.00	15750
7	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	रेत	6.00	8340
8	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	बजरी	12.00	16680
9	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	बोल्डर	20.00	15000
10	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	रेत	6.00	9600
11	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	बजरी	8.00	12800
12	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	बोल्डर	21.90	18666
13	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	093/05.01.2021	रेत	8.25	13200
14	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	093/05.01.2021	बजरी	16.49	26384
15	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	रेत	15.00	24000
16	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	बजरी	30.00	48000
17	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	बोल्डर	13.00	11050

18	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	092/05.01.2021	रेत	10.00	16000
19	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	092/05.01.2021	बजरी	25.00	40000
20	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0115/05.01.2021	बजरी	4.60	7360
21	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0115/05.01.2021	रेत	2.32	3712
	कुल योग				**337462**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-136 दिनांक 13.03.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत भांबला के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है की स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित

है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 05/6/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

05 JUN 2024

2323-2327 फा0 150

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 149/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत भांवला, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 05/6/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

फा0 150

परिशिष्ठ -(क)
पैरा संख्या – 4(i)

Financial position of own source & other grant in aids of Gram Panchyat bhambla					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	2666189.89	663901	3330090.89	341693	2988297.89
2022-23	2988297.89	921888	3910185.89	828494	3081691.89

Secretary
G.P. Bhambla
Dev. Block Gopalpur
Distt. Mandi (H.P.)

परिशिष्ट - (ख)
पैरा संख्या — 4(ii)

27

Financial position of 14 th FCof Gram Panchyat bhambla					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	3786907	63709	3850616	180570	3670046
2022-23	3670046	173816	3843862	3112061	731801

Secretary
G.P. Bhambla
Dev. Block Gopalpur
Distt. Mandi (H.P.)

परिशिष्ट-(ग)
पैरा संख्या — 5 (iii)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat bhambla					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	1019462	1849672	2869134	0	2869134
2022-23	2869134	2963149	5832283	1775058.95	4057224.05

परिशिष्ठ - (घ)
पेज-संख्या — 6 (क)

HOUSE TAX STATEMENT AS ON 31/03/2023							
PERIOD	O.B	NO OF HOUSEHOLD	@RATE OF REQUIRED TAX	REQUIRED TAX	TOTAL HOUSE TAX	RECEIVED	BALANCE
2021-22	38675	1547	25	38675	77350	76350	1000
2022-23	1000	1547	25	38675	39675	1000	38675

परिशिष्ट - (अ)(ङ)
पैरा संख्या - 9(क)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	14th FC								
1	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	049/15.03.2023	बजरी	9352	6.74	1.52	10.24	80	819.58
2	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	049/15.03.2023	रेत	3896	2.83	1.62	4.58	80	366.77
3	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	050/15.03.2023	बजरी	16755	12.17	1.52	18.50	80	1479.87
4	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	050/15.03.2023	रेत	9741	7.08	1.62	11.47	80	917.57
5	एम/एस श्याम लाल ठाकुर गाँव नरदौल डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0052/25.03.2023	पत्थर	9100	14.00	2.24	31.36	80	2508.80
6	एम/एस श्याम लाल ठाकुर गाँव नरदौल डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0051/25.03.2023	पत्थर	10400	16.00	2.24	35.84	80	2867.20
7	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	055/18.03.2023	बजरी	4676	3.39	1.52	5.15	80	412.22
8	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	055/18.03.2023	रेत	6624	4.81	1.62	7.79	80	623.38
9	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	058/19.03.2023	बजरी	4676	3.39	1.52	5.15	80	412.22
10	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	058/19.03.2023	रेत	6624	4.81	1.62	7.79	80	623.38
11	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	066/20.03.2023	बजरी	4676	3.39	1.52	5.15	80	412.22
12	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	066/20.03.2023	रेत	6624	4.81	1.62	7.79	80	623.38
13	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	069/22.03.2023	रेत	3896	2.83	1.62	4.58	80	366.77
14	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	069/22.03.2023	बजरी	7793	5.56	1.52	8.45	80	676.10
15	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	070/22.03.2023	बजरी	3507	2.64	1.52	4.01	80	321.02
16	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	074/22.03.2023	बजरी	15586	11.32	1.52	17.21	80	1376.51
17	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	074/22.03.2023	रेत	10910	7.92	1.62	12.83	80	1026.43
18	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	062/20.03.2023	बजरी	18704	13.59	1.52	20.66	80	1652.54
19	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	062/20.03.2023	रेत	7796	5.66	1.62	9.17	80	733.54
19	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	079/26.03.2023	बजरी	9352	6.79	1.52	10.32	80	825.66
20	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	079/26.03.2023	रेत	3896	2.83	1.62	4.58	80	366.77
21	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	067/22.03.2023	बजरी	27276	19.82	1.52	30.13	80	2410.11
22	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	067/22.03.2023	रेत	10910	7.92	1.62	12.83	80	1026.43
23	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	072/22.03.2023	बजरी	4676	3.39	1.52	5.15	80	412.22
24	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	072/22.03.2023	रेत	1948	1.41	1.62	2.28	80	182.74
25	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	078/22.03.2023	बजरी	4676	3.39	1.52	5.15	80	412.22
26	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	078/22.03.2023	रेत	1948	1.41	1.62	2.28	80	182.74
27	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	068/22.03.2023	बजरी	7793	5.68	1.52	8.63	80	690.69
28	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	068/22.03.2023	रेत	3896	2.83	1.62	4.58	80	366.77
29	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	065/20.03.2023	रेत	9741	7.08	1.62	11.47	80	917.57
30	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	080/25.03.2023	बजरी	9352	6.70	1.52	10.18	80	814.72
31	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	080/25.03.2023	रेत	3896	2.80	1.62	4.54	80	362.88
	15वां वित्त आयोग								
32	एम/एस श्याम लाल ठाकुर गाँव नरदौल डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मंडी	040/03.03.2023	बोल्डर	13000	20.00	2.24	44.80	80	3584.00
33	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	044/13.03.2023	बजरी	23380	16.99	1.52	25.82	80	2065.98

34	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	044/13.03.2023	रेत	9741	7.00	1.62	11.34	80	907.20
35	एम/एस श्याम लाल ठाकुर गाँव नगरोल डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मंडी	038/09.02.2023	बोल्डर	7800	12.00	2.24	26.88	80	2150.40
36	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	043/13.03.2023	बजरी	20652	15.00	1.52	22.80	80	1824.00
37	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	043/13.03.2023	रेत	9741	7.08	1.62	11.47	80	917.57
38	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	047/13.03.2023	बजरी	17145	15.00	1.52	22.80	80	1824.00
39	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	047/13.03.2023	रेत	9741	7.08	1.62	11.47	80	917.57
40	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	045/13.03.2023	बजरी	13833	10.05	1.52	15.28	80	1222.08
41	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बढेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	045/13.03.2023	रेत	5645	4.24	1.62	6.87	80	549.50
	मनरेगा								
42	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	रेत	8340	6.00	1.62	9.72	60	583.20
43	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	बजरी	5560	4.00	1.52	6.08	60	364.80
44	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	बोल्डर	12000	16.00	2.24	35.84	60	2150.40
45	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	रेत	8340	6.00	1.62	9.72	60	583.20
46	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	बजरी	16680	12.00	1.52	18.24	60	1094.40
47	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	बोल्डर	15750	21.00	2.24	47.04	60	2822.40
48	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	रेत	8340	6.00	1.62	9.72	60	583.20
49	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	बजरी	16680	12.00	1.52	18.24	60	1094.40
50	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	बोल्डर	15000	20.00	2.24	44.80	60	2688.00
51	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	रेत	9600	6.00	1.62	9.72	60	583.20
52	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	बजरी	12800	8.00	1.52	12.16	60	729.60
53	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	बोल्डर	18666	21.90	2.24	49.06	60	2943.36
54	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	093/05.01.2021	रेत	13200	8.25	1.62	13.37	60	801.90
55	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	093/05.01.2021	बजरी	26384	16.49	1.52	25.06	60	1503.89
56	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	रेत	24000	15.00	1.62	24.30	60	1458.00
57	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	बजरी	48000	30.00	1.52	45.60	60	2736.00
58	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	बोल्डर	11050	13.00	2.24	29.12	60	1747.20
59	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	092/05.01.2021	रेत	16000	10.00	1.62	16.20	60	972.00
60	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	092/05.01.2021	बजरी	40000	25.00	1.52	38.00	60	2280.00
61	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0115/05.01.2021	बजरी	7360	4.60	1.52	6.99	60	419.52
62	जय कुमार,गाँव रमेहड़ा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0115/05.01.2021	रेत	3712	2.32	1.62	3.76	60	225.50
	कुल योग								71517.50

परिशिष्ठ -(क)(-च)
पैरा-संख्या — 9 (ख)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	14TH FC					
1	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	050/15.03.2023	बजरी	16755	1.00%	167.55
2	एम/एस श्याम लाल ठाकुर गाँव तरंडोल डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मंडी	0051/25.03.2023	पत्थर	10400	1.00%	104.00
3	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	074/22.03.2023	बजरी	15586	1.00%	155.86
4	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	074/22.03.2023	रेत	10910	1.00%	109.10
5	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	062/20.03.2023	बजरी	18704	1.00%	187.04
6	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	067/22.03.2023	बजरी	27276	1.00%	272.76
7	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	067/22.03.2023	रेत	10910	1.00%	109.10
	15वां वित्त आयोग					
8	एम/एस श्याम लाल ठाकुर गाँव तरंडोल डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मंडी	040/03.03.2023	बोल्डर	13000	1.00%	130.00
9	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	044/13.03.2023	बजरी	23380	1.00%	233.80
10	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	043/13.03.2023	बजरी	20652	1.00%	206.52
11	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	047/13.03.2023	बजरी	17145	1.00%	171.45
12	एम/एस डी.एस ठेकेदार गाँव व डाकघर बदेहर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	045/13.03.2023	बजरी	13833	1.00%	138.33
	मनरेगा					
13	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	082/05.01.2021	बोल्डर	12000	1.00%	120.00
14	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	बजरी	16680	1.00%	166.80
15	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	079/05.01.2021	बोल्डर	15750	1.00%	157.50
16	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	बजरी	16680	1.00%	166.80
17	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	080/05.01.2021	बोल्डर	15000	1.00%	150.00
18	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	बजरी	12800	1.00%	128.00
19	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	090/05.01.2021	बोल्डर	18666	1.00%	186.66
20	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	093/05.01.2021	रेत	13200	1.00%	132.00
21	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	093/05.01.2021	बजरी	26384	1.00%	263.84
22	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	रेत	24000	1.00%	240.00
23	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	बजरी	48000	1.00%	480.00
24	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	091/05.01.2021	बोल्डर	11050	1.00%	110.50
25	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	092/05.01.2021	रेत	[illegible]0000	1.00%	160.00
26	जय कुमार,गाँव रमेहरा डाकघर भांबला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मंडी	092/05.01.2021	बजरी	40000	1.00%	400.00
						4847.61